

कार्यालय परिवहन आयुक्त

उत्तर प्रदेश।

संख्या- 4/3 कं०से०/2015-69(रिफण्ड)/2012

लखनऊ:दिनांक:अक्टूबर 19, 2015

कार्यालय आदेश

ज्ञातव्य है कि ऑनलाइन टैक्स तथा फीस पेमेन्ट के प्रकरणों में 'ट्रान्जेक्शन फेल हो जाने की दशा में' ई-पेमेन्ट मोड से राज्य सरकार के खाते में जमा होने वाले समस्त प्रकार के ऐसे "अनवारण्टेड धनराशि", जिसकी देयता विभाग के लिए नियमानुसार नहीं बनती है, के रिफण्ड हेतु कार्यालय आदेश संख्या-345कं०से०/2012-53(आ०ला०टै०)/09 दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 तथा कार्यालय आदेश संख्या-430कं०से०/2014-69(रिफण्ड)/2012 दिनांक 17 नवम्बर, 2014 द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त "जनहित में" प्रशासनिक आदेश निर्गत करने हेतु "उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर), उत्तर प्रदेश को सक्षम अधिकारी" नामित किया गया है।

2- डीलर प्वाइन्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन योजना के लागू होने के उपरान्त "ट्रान्जेक्शन फेल" के प्रकरण से भिन्न, कई ऐसे प्रकरण संज्ञान में लाये गये हैं जिनमें यद्यपि आनलाइन ट्रान्जेक्शन सफल हैं किन्तु डीलर स्तर पर डाटा फीडिंग में त्रुटि कर दिये जाने के कारण देय टैक्स से अधिक की धनराशि राज्य सरकार के खाते में जमा हो गई है। ऐसे प्रकरणों का विवरण निम्नवत् है:-

- i. डीलर द्वारा वाहन के वास्तविक क्रय मूल्य के स्थान पर त्रुटिवश क्रय मूल्य से अधिक धनराशि फीड कर दिये जाने के कारण टैक्स का आगणन उस वाहन हेतु देय टैक्स से अधिक हो गया और इस प्रकार देय टैक्स से अधिक धनराशि, राज्य सरकार के खाते में आनलाइन माध्यम से जमा हो गयी है। देय टैक्स से अधिक जमा हो गयी ऐसी धनराशि को "अनवारण्टेड धनराशि" मानते हुए रिफण्ड किया जाना।
- ii. वाहन-वर्ग फीड करते समय डीलर द्वारा त्रुटिवश कतिपय वाहन को "निजी वाहन" के रूप में फीड कर दिया गया, जबकि उक्त वाहन को "व्यावसायिक वाहन" के रूप में पंजीकृत होना था। इस प्रकार उक्त वाहन के संदर्भ में जमा किए गए एक बारीय टैक्स (one time tax) को "अनवारण्टेड धनराशि" मानते हुए रिफण्ड किया जाना।
- iii. डीलर स्तर पर वाहन के चेसिस नम्बर को फीड करते समय गलत डाटा फीड करने के कारण हुए ट्रान्जेक्शन तथा उसी वाहन का चेसिस नम्बर सही करके फीड करने के कारण, एक ही चेसिस पर एक वाहन का "पंजीयन-ट्रान्जेक्शन" दो बार किया गया जिसके फलस्वरूप एक ही वाहन के संदर्भ में दो बार टैक्स/फीस की धनराशि जमा हो गयी। इस प्रकार गलत चेसिस डाटा फीडिंग के सापेक्ष हुए ट्रान्जेक्शन में आनलाइन जमा हो गयी धनराशि को "अनवारण्टेड धनराशि" मानते हुए रिफण्ड किया जाना।
- iv. कतिपय वाहन के प्रकरण में डीलर द्वारा आनलाइन टैक्स/फीस पेमेन्ट करने के पश्चात् ट्रान्जेक्शन पूर्ण न होने की स्थिति में संदर्भित वाहन का देय टैक्स/फीस कार्यालय में जमा कर दिया गया और कार्यालय द्वारा पंजीयन अप्रूव कर उस वाहन को पंजीयन नम्बर आवंटित कर दिया गया, परन्तु इस बीच उस वाहन के सम्बन्ध में पूर्व में किया गया आनलाइन ट्रान्जेक्शन भी सफल हो गया। इस प्रकार एक ही वाहन का टैक्स/फीस दो बार जमा हो जाने की स्थिति में आनलाइन माध्यम से जमा "अनवारण्टेड धनराशि" को रिफण्ड किया जाना।
- v. कतिपय वाहन जिनका अस्थायी पंजीयन करना था, डीलर द्वारा त्रुटिवश स्थायी पंजीयन के रूप में ट्रान्जेक्शन कर दिये जाने के कारण आनलाइन जमा हो गयी टैक्स व फीस की धनराशि को उक्त ट्रान्जेक्शन के निरस्तीकरण के पश्चात् "अनवारण्टेड धनराशि" रिफण्ड किया जाना।

3- यह कि, उ०प्र० मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 तथा सपठित कराधान नियमावली, 1998 में दी गयी व्यवस्था के तहत किसी भी वाहन के प्रति टैक्स की देयता या अदेयता के

नियमानुसार निर्धारण संबंधी कार्यवाही सम्बन्धित जनपद के कराधान अधिकारी को ही सुनिश्चित करनी है।

4- अतः **"सफल ऑनलाइन ट्रान्जेक्शन"** के ऐसे सभी मामलों में जिसमें किसी भी कारणवश देयता से अधिक टैक्स या फीस की धनराशि राज्य सरकार के खाते में जमा हो गयी है तो ऐसी **"अनवारण्टेड धनराशि"** जिसकी देयता विभाग के लिए नियमानुसार नहीं बनती है, के रिफण्ड हेतु सम्यक् विचारोपरान्त **"जनहित में"** प्रशासनिक आदेश निर्गत करने हेतु प्रदेश के सभी **"सम्बन्धित परिवहन कार्यालयों के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) सह-कराधान अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी"** नामित किया जाता है।

5- उक्त व्यवस्था हेतु **"अधियाचक" (claimant)** तथा **"अनवारण्टेड धनराशि"** को निम्नवत् परिभाषित किया गया है:-

- अधियाचक (claimant)** अर्थात् रिफण्ड के आवेदनकर्ता का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसके बैंक एकाउन्ट से ऑनलाइन ट्रान्जेक्शन के माध्यम से टैक्स/फीस की धनराशि की कटौती होकर राज्य सरकार के खाते में जमा हो गयी हो।
- "अनवारण्टेड धनराशि"** का तात्पर्य परिवहन विभाग के वेबपोर्टल से किए गए किसी ऑनलाइन ट्रान्जेक्शन के सापेक्ष राज्य सरकार के खाते में ऑनलाइन जमा हो गयी ऐसी टैक्स अथवा फीस अथवा दोनों धनराशि से है, जो नियमानुसार विभाग के लिए देय नहीं है।

6- रिफण्ड के आवेदन की प्रक्रिया

"फेल्ड ऑनलाइन ट्रान्जेक्शन" को छोड़कर, उपरोक्त बिन्दु-2 में संदर्भित प्रकरण अथवा ऐसे अन्य प्रकरण जिसमें यद्यपि कि ऑनलाइन ट्रान्जेक्शन सफल हो गया हो, किन्तु उस सफल ट्रान्जेक्शन के सापेक्ष राज्य सरकार के खाते में जमा हो गयी धनराशि विभाग के नियमानुसार देय न होने के कारण **"अनवारण्टेड धनराशि"** है, की वापसी हेतु विभाग द्वारा **निर्धारित प्रारूप पर एवं नियत समय-सीमा** (अभी तक प्राप्त क्लेम आवेदनों को छोड़कर शेष मामलों में ट्रान्जेक्शन की तिथि से 30 दिन के अन्दर) में अधियाचक द्वारा **सक्षम प्राधिकारी** (सम्बन्धित परिवहन कार्यालयों के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन) सह-कराधान अधिकारी) को आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

7- सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिफण्ड का आदेश निर्गत करने की प्रक्रिया-

- अधियाचक (claimant) द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्न प्रक्रियात्मक कार्यवाही करते हुए सम्यक् परीक्षणोपरान्त सन्तुष्ट होने की दशा में धनवापसी (refund) के सम्बन्ध में प्रशासनिक आदेश, **संबंधित संभागीय परिवहन अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त**, निर्गत किया जायेगा:-
 - निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं, उसकी पुष्टि करना।
 - अधियाचक (व्यक्ति) के सही होने की पुष्टि करना।
 - अधियाचक का नाम तथा रिफण्ड हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में बैंक एकाउन्ट धारक के समान नाम होने की पुष्टि करना।
 - विभाग के सम्बन्धित वेब पोर्टल से अधियाचक (claimant) के ट्रान्जैक्शन सफल होने तथा पोर्टल से सन्दर्भित ट्रान्जैक्शन आई0डी0 के सापेक्ष ई-रसीद जनरेट होने की पुष्टि-रिपोर्ट प्राप्त करना।
 - अधियाचक (claimant) के उसी ट्रान्जैक्शन आईडी के सापेक्ष ऑनलाइन माध्यम से भुगतान की गयी टैक्स/फीस की धनराशि का राज्य सरकार के खाते में जमा होने की लिखित पुष्टि-रिपोर्ट सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय मुख्य शाखा, मोतीमहल मार्ग, लखनऊ से प्राप्त करना (ई-मेल से भी स्वीकार्य)।



- vi. यह पुष्टि करना कि सन्दर्भित ट्रान्जैक्शन आईडी के सापेक्ष अधियाचक (claimant) द्वारा ऐसी "अनवारण्टेड धनराशि" के सम्बन्ध में किया गया रिफण्ड क्लेम नियमानुसार सही है।
 - vii. धनवापसी (refund) के लिए अधियाचक (claimant) का क्लेम आवेदन ट्रान्जैक्शन की तिथि से 30 दिन के अन्दर किया गया है, की भी पुष्टि करना। (अभी तक प्राप्त क्लेम आवेदनों को छोड़कर शेष मामलों में)
 - viii. धनवापसी (refund) उसी बैंक एकाउन्ट में किया जाएगा, जिस बैंक एकाउन्ट से आनलाइन ट्रान्जैक्शन किया गया है। अतः अधियाचक द्वारा आवेदन पत्र में रिफण्ड हेतु दिया गया बैंक एकाउन्ट नम्बर वही है, जिससे आनलाइन ट्रान्जैक्शन किया गया है और यह एकाउन्ट वर्तमान में चालू है, की पुष्टि हेतु अधियाचक से बैंक एकाउन्ट से संबंधित आवश्यक प्रपत्र/पासबुक आदि की प्रति जो संबंधित बैंक अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, प्राप्त की जायेगी।
- b) रिफण्ड के आदेश पर अनुमोदन देने से पूर्व संबंधित संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि रिफण्ड का क्लेम नियमानुसार सही है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्लेम आवेदन तथा उससे संबंधित सभी प्रपत्रों का सत्यापन, इस आदेश में निर्धारित की गयी व्यवस्था/प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए, सही प्रकार से किया गया है।
 - c) उल्लेखनीय है कि ई-पेमेन्ट मोड से राज्य सरकार के खाते में जमा होने वाली धनराशि के लिए शासन द्वारा कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ को नोडल कोषागार बनाया गया है, अतः कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ से ही ऐसी अनवारण्टेड धनराशि के रिफण्ड की कार्यवाही की जायेगी।
 - d) चूंकि कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ में संभागीय परिवहन कार्यालय, टी0पी0 नगर लखनऊ के आहरण वितरण अधिकारी सह-सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) का डी0डी0ओ0 कोड संचालित है, अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में ई-पेमेन्ट मोड से जमा टैक्स/फीस की ऐसी "अनवारण्टेड धनराशि", के रिफण्ड हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक आदेश निर्गत कर, उक्त रिफण्ड की धनराशि के आहरण हेतु आदेश की एक प्रति के साथ समस्त आवश्यक प्रपत्र संभागीय परिवहन कार्यालय, टी0पी0 नगर लखनऊ के आहरण वितरण अधिकारी सह-सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), लखनऊ को तथा एक प्रति समस्त आवश्यक प्रपत्रों की छाया प्रति सहित वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित किये जायेंगे।
 - e) सक्षम प्राधिकारी द्वारा "अनवारण्टेड धनराशि" के रिफण्ड संबंधी निर्गत किये जाने वाले प्रशासनिक आदेश की प्रति, रिफण्ड की धनराशि आहरण करने हेतु सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) टी0पी0 नगर, लखनऊ के साथ-साथ वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ को पृष्ठांकित की जाएगी तथा एक प्रति महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद, वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0, लखनऊ तथा अधियाचक को भी पृष्ठांकित कर प्रेषित की जायेगी।
 - f) रिफण्ड संबंधी उक्त आदेश के क्रम में धनराशि आहरण हेतु सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) टी0पी0 नगर, लखनऊ द्वारा बिल तैयार कराकर नियमानुसार मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ में प्रस्तुत किये जायेंगे।
 - g) बिल में निहित धनराशि का आहरण होकर अधियाचक (claimant) के खाते में क्रेडिट हो जाने का प्रमाण सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) लखनऊ द्वारा कोषागार से प्राप्त कर एक प्रति अपने कार्यालय में रखते हुए उसकी एक प्रति सम्बन्धित



परिवहन कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी-सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) को अभिलेखों में रक्षित किये जाने हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

h) उपरोक्त सारी प्रक्रिया का अभिलेखीय साक्ष्य सम्बन्धित परिवहन कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी-सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) टी0पी0 नगर, लखनऊ कार्यालयों में रखा जायेगा।

8- रिफण्ड हेतु आवेदन का प्रारूप, राज्य सरकार के खाते में धनराशि जमा होने के स्टेट बैंक आफ इण्डिया से सत्यापन रिपोर्ट का प्रारूप, रिफण्ड आदेश का प्रारूप तथा कार्यालय में रखने हेतु अनुपालन विवरणी का प्रारूप इस आदेश के साथ संलग्न हैं।

9- यह आदेश वित्त नियंत्रक, मुख्यालय द्वारा दी गयी सहमति पर निर्गत किये जा रहे हैं।

10- यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि सुसंगत नियमावलियों में इस संदर्भ में आवश्यक प्रावधान प्रभावी नहीं कर दिये जाते।

अतः निर्देशित किया जाता है कि "फेल्ड आनलाइन ट्रान्जेक्शन" के प्रकरणों को छोड़कर शेष अन्य आनलाइन सफल ट्रान्जेक्शन के मामलों में टैक्स/फीस की "अनवारण्टेड धनराशि" के रिफण्ड हेतु अब तक प्राप्त तथा भविष्य में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर रिफण्ड की कार्यवाही इस आदेश में निर्धारित की गयी उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार सम्पादित की जायेगी।

कृपया उक्त आदेश का अनुपालन तत्काल प्रभाव से किया जाय।
संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

(के0 रविन्द्र नायक)
परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पू0संख्या- 413 (1)कं0से0/2015-समदिनांकित

उक्त आदेश की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय लखनऊ।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त अपर परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. सहायक परिवहन आयुक्त(प्रशासन), उत्तर प्रदेश।
9. मुख्यालय के अन्य समस्त अधिकारीगण।
10. समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), उत्तर प्रदेश।
11. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), उत्तर प्रदेश।
13. सहायक महाप्रबन्धक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, सरकारी व्यवसाय विभाग, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मोतीमहल मार्ग, लखनऊ।
14. डा0 वाई0के0 सिंह, सीनियर तकनीकी निदेशक, एनआईसी, योजना भवन, लखनऊ।

(के0 रविन्द्र नायक)
परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

PART-I

(see Order no dated of Transport Commissioner, UP)

Application for Refund in case of payment being made through e-payment mode

(To be completed by the claimant)

To,

Assistant Regional Transport Officer,

(Administration)-cum-Taxation Officer

Name of District

I/We*, having paid the Tax/Fee/Both* of Rs.....through e-payment mode ,
hereby apply for the refund of Rs..... (In words
) on the ground of (write reasons in detail)
.....

The particulars for claim of refund are given below :

- (1) (a) Full Name of the Claimant:
(Claimant means the person from whose Bank Account the said transaction amount was debited)
- (b) Address:
- (c) Mobile Number :
- (2) Details of **Transaction** against which aforesaid refund is claimed:
 - i. Transaction Number : Transaction Date :
(Generated by Concerned Transport Department Website)
 - ii. Transaction Amount Rs..... (In words.....)
 - iii. Bank Reference Number :
(Generated by SBI Payment Gateway)
 - iv. Vehicle Registration Number/ Chassis Number :
.....
(Wherever applicable)
- (3) Details of Bank A/c Number from which amount was debited :
 - i. Bank A/c Number :
 - ii. Name of Account Holder:.....
 - iii. Name of Bank and Branch:
 - iv. Branch Code.....
 - v. IFSC Code:
- (4) I/We* hereby swear and affirm that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.
- (5) I/We* hereby swear and affirm that I/We* shall be fully responsible for any misrepresentation of facts or fraud, if it is found at any point of time.
- (6) I/We* hereby declare that I/We* have not made any claim, except this, for refund with regard to the aforesaid transaction before this office or any other office or to the concerned bank.
- (7) I/We*, in support of aforesaid refund claim, hereby enclose the following relevant documents as proof of evidence.

Documents attached as evidences:

- (1)
(2)
(3)

Signature of claimant

*Strike out whichever is not applicable

Note : All the particulars are to be filled MANDATORILY. Incomplete application will liable to be rejected.

PART-II

(see Order no dated of Transport Commissioner, UP)

Verification Request to State Bank Of India, Govt. Business Branch, Local Head Office, Lucknow regarding Refund claim in case of payment being made through e-payment mode

To,

Assistant General Manager,
State Bank Of India,
Govt. Business Branch,
Local Head Office ,
Moti Mahal Marg,
Lucknow

Sir,

This is to inform you that the claimant has applied before this office for the refund of Rs..... as per the particulars given below :

(1) Details of Transaction against which aforesaid refund is claimed:

- i. Transaction Number : Transaction Date :
(Generated by concerned Transport Department Website)
- ii. Transaction Amount : Rs.....(In words.....)
- iii. Bank Reference Number :
(Generated by SBI Payment Gateway)
- iv. Vehicle Registration Number/ Chassis Number :
(Wherever applicable)

(2) Details of Bank A/c Number from which amount was debited :

- i. Bank A/c Number :
- ii. Name of Account Holder:
- iii. Name of Bank and Branch :
- iv. Branch Code.....
- v. IFSC Code:

To accept the aforesaid claim for refund , the necessary verification from Your office is urgently required in the attached format .

Kindly send the requisite information to the undersigned at the earliest.

Sincerely yours'

Assistant Regional Transport Officer,
(Administration) / Taxation officer,

Name of District

Part – III

(see Order no dated of Transport Commissioner, UP)

Verification Report by State Bank Of India, Govt. Business Branch, Local Head Office, Lucknow regarding Refund claim in case of payment being made through e-payment mode

In reference to your letter no..... dated , this is to certify that the amount of Rs.....(in words.....) in respect of Transaction Number Dated and Bank Reference Number has been deposited/ has not been deposited* in the treasury of Government of Uttar Pradesh under the head "0041-Taxes on Vehicles-102-Receipts under the State Motor Vehicle Taxation Act-01-Gross Receipts" vide Treasury Challan number on the date.....

Also, Certified that the aforesaid claim amount has not been refunded by this bank.

Signature
Name of Officer:
Designation:
Date.....
Seal

*Strike out whichever is not applicable

Part-IV

(see Order no dated of Transport Commissioner, UP)

Order by Competent Officer in case of admission of Refund claim in respect of payment being made through e-payment mode

1. Claim for refund of amount Rs..... (in words) by claimant in respect of Transaction Number Dated and Bank Reference Number has been received in this office on the date
2. Reason for refund claim is (Give reasons in detail)
3. I have scrutinized the claim application and all the relevant documents. After verifying the facts and the relevant documents, I am satisfied that the amount of Rs. (in words) is not due as per the provisions of Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 and rules made thereunder and /or* Motor Vehicles Act, 1988 and rules made thereunder , and therefore, is 'unwarranted' and accordingly the claim is admitted .
4. State Bank Of India, Govt. Business Branch, Local Head Office, Lucknow vide verification report dated..... , has confirmed that the amount of Rs..... (in words) in respect of Transaction Number Dated and Bank Reference Number has been deposited in the treasury of Government of Uttar Pradesh under the head "0041-Taxes on Vehicles-102-Receipts under the State Motor Vehicle Taxation Act-01-Gross Receipts" vide Treasury Challan number on the date.....
5. I, being designated as competent authority, hereby order the refund of amount of Rs..... (in words) from the treasury of Government of Uttar Pradesh under the head "0041001029000-घटायें-वापसियाँ " to the claimant's Bank Account number Bank Name Branch Name Branch Code IFSC Code through e-payment mode.

Signature
Name of Competent Officer:
Designation:
Seal

Dated:

Copy for information and necessary action :

1. DDO -cum - Assistant Regional Transport Officer (Administration),
RTO office ,T P Nagar, Lucknow.
2. Chief Treasury Officer, Collectorate Treasury, Lucknow.

3. Accountant General (A&E), I/II, UP, Allahabad.
4. Finance Controller, Office of Transport Commissioner, Uttar Pradesh.
5. Claimant , Address :

Signature
Name of Competent Officer:
Designation:
Seal

Dated:

Part- V

(see Order no dated of Transport Commissioner, UP)

Order by Competent Officer in case of Refusal of Refund claim in respect of payment being made through e-payment mode

1. Claim for refund of amount Rs..... (in words) by claimant in respect of Transaction Number Dated and Bank Reference Number has been received in this office on the date
2. Reasons for refund claim as given by the claimant
3. I have scrutinized the claim application and all the relevant documents. After verifying the facts and the relevant documents, I am satisfied that the aforesaid claim for refund is non-admissible, and accordingly the claim is refused
4. Reasons for Refusal (write reasons)

Signature
Name of Competent Officer:
Designation:
Seal

Dated:

Copy for information:

1. Claimant , Address :

Signature
Name of Competent Officer:
Designation:
Seal

Dated:

Part-VI

(see Order no dated of Transport Commissioner, UP)

Compliance details to be completed by the office of Competent Officer regarding Refund claim Order given by Competent Officer in case of payment being made through e-payment mode

1. Claim for refund of amount Rs.....(in words) by claimant in respect of Transaction Number Dated and Bank Reference Number has been accepted / refused* by the Competent officer vide Order no dated.....
2. In case of admission of claim, amount Rs.(In words) in respect of Transaction Number Dated and Bank Reference Number has been credited to claimant's

Bank Account number Bank Name Branch Name
..... through e-Pay Order Number..... Dated
.....

Signature

Name of Dealing Assistant:

Designation:

Seal

Dated

*Strike out whichever is not applicable

Signature

Name of Section Incharge:

Designation:

Seal